बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 25.06.2025

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। यह पुनरीक्षण आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और समय–सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

उल्लेखनीय है कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। वर्तमान में तेज़ी से हो रहा शहरीकरण, लगातार होने वाला प्रवासन, नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना तथा अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।

इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारी (BLO) घर–घर जाकर सत्यापन करेंगे। पुनरीक्षण के दौरान आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में उल्लिखित मतदाता के रूप में पंजीकरण की पात्रता और अयोग्यता संबंधी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करेगा।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा अब तक अपने स्तर पर पात्रता की जाँच की जाती रही है। अब तकनीक के विकास को देखते हुए, इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह आवश्यक किया गया है कि ERO द्वारा संतुष्टि के आधार पर प्राप्त दस्तावेजों को ECINET पोर्टल पर अपलोड किया जाए। हालांकि, इन दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए इन्हें केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ही देखा जा सकेगा।

यदि किसी राजनीतिक दल अथवा मतदाता द्वारा कोई दावा या आपत्ति दर्ज की जाती है, तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) संबंधित मामले की जाँच करेंगे और उसके बाद ही ERO अपना निर्णय लेंगे। इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत ERO के आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी (District Magistrate) तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं बूथ स्तर अधिकारी (BLO) को यह निर्देशित किया है कि वे यह

सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदाताओं, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांगजन (PwD), गरीब तथा अन्य वंचित वर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वयंसेवकों की तैनाती भी की जा सकती है।

भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास करेगा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया सुगमता से संपन्न हो और मतदाताओं को कम से कम असुविधा हो। साथ ही, आयोग सभी राजनीतिक दलों से अपील करेगा कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की नियुक्ति करें। BLAs की सक्रिय भागीदारी से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यदि कोई विसंगतियाँ या त्रुटियाँ हों, तो उनका समाधान तैयारी के प्रारंभिक चरण में ही कर लिया जाए, जिससे दावे, आपत्तियों और अपीलों की संख्या में कमी लाई जा सके। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मतदाता और राजनीतिक दल, दोनों ही किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होते हैं, और केवल उनकी पूर्ण भागीदारी से ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण और व्यापक प्रक्रिया को सफलता एवं सुचारु रूप से संपन्न किया जा सकता है।

विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित हैः–

S. No.	Activity Description	Timeline / Deadline
1	**Distribution and Collection of Enumeration Forms-** House to House Veryfication Exercise	**25.06.2025 (Wednesday) to 26.07.2025 (Saturday)**
2	**Rationalization/Re-arrangement of Polling Stations** Finalization of proposed restructuring of section/part boundaries, location of polling stations and approval of polling stations (preferably not more than 1,200 electors per station)	**25.06.2025 (Wednesday) to 26.07.2025 (Saturday)**
3	**Updation of Control Table & Draft Roll Preparation**	**27.07.2025 (Sunday) to 31.07.2025 (Thursday)**
4	**Publication of Draft Electoral Roll**	**01.08.2025 (Friday)**
5	**Period for Filing Claims & Objections**	**01.08.2025 (Friday) to 01.09.2025 (Monday)**
6	**Disposal of Forms and Claims & Objections**	**By 25.09.2025 (Thursday)**
7	**Finalization Activities**	**By 27.09.2025 (Saturday)**
7(i)	Checking health parameters of the finalized electoral rolls and obtaining Commission's permission for final publication	
7(ii)	Updating database and printing of supplements	
8	**Final Publication of Electoral Roll**	**30.09.2025 (Tuesday)**

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश (जन सामान्य की जानकारी हेतु) निम्नवत् हैः–

1. घर–घर गणना (House to House Enumeration) से संबंधित प्रक्रियाः

- बी०एल०ओ० प्रत्येक घर जाकर पहले से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म (दो प्रतियों में) वितरित करेंगे और उन्हें भरने में मतदाताओं का मार्गदर्शन करेंगे।
- बी०एल०ओ० कम से कम तीन बार दोबारा जाकर फॉर्म संग्रह करने का प्रयास करेंगे।
- इच्छुक मतदाता प्री–फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म को **ऑनलाइन डाउनलोड** कर सकते हैं तथा भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
- हर मतदाता को यह फॉर्म आवश्यक जानकारी व स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ भरकर बी०एल०ओ० को देना होगा।
- बी०एल०ओ० द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद, एक प्रति अपने पास रखी जाएगी और दूसरी प्रति पर स्वीकृति की रसीद देकर वह मतदाता को लौटा दी जाएगी।
- ऑनलाइन फॉर्म भरने वालों के दस्तावेजों का सत्यापन भी घर पर होगा। यदि किसी मतदाता ने ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म और दस्तावेज अपलोड किए हैं, तो बीएलओ उनके घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
- बी०एल०ओ० द्वारा प्राप्त फॉर्म और संलग्न दस्तावेज BLO/ECINet मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे और फिर संबंधित ईआरओ/एईआरओ को रिकॉर्ड हेतु जमा किए जाएंगे।

2. प्रारूप निर्वाचक नामावली (Draft Roll) का प्रकाशनः

- प्रारूप मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे जिन्होंने हाउस–टू–हाउस सर्वे के दौरान फॉर्म जमा किए हैं या जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन जमा करवा दिए हैं और जिन्हें बीएलओ द्वारा सत्यापित किया गया है।
- जिन मतदाताओं ने समय पर फॉर्म नहीं जमा किया, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।

3. फॉर्म समय पर जमा न करने वाले मतदाताओं के लिए विकल्पः

- यदि कोई मतदाता समय पर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाता है, तो वह दावा–आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म–6 और घोषणा पत्र (Annexure D) के साथ नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है।

4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- न्यायपालिका के सदस्य, जनप्रतिनिधि, घोषित पद धारक, और कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल व लोक सेवा क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे, ताकि आवश्यक दस्तावेज दावा–आपत्ति के दौरान लिए जा सकें।
- प्रारूप प्रकाशन की सूचना (Form–5) के साथ ही अगले अहर्ता तिथि के लिए (1 अक्टूबर, 2025) अग्रिम आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे।

5. दावा–आपत्ति अवधि में पात्रता का गंभीर परीक्षण होगाः

- प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद, सभी प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता की जांच अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 व 19 के आधार पर की जाएगी।
- यदि ई०आर०ओ० / ए०ई०आर०ओ० को किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होता है (प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता आदि के कारण), तो स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की जाएगी और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा।

6. अपील की व्यवस्था उपलब्धः

- यदि ERO/AERO ने जाँच कर यह पाया कि प्रारूप सूची में शामिल कोई नाम मतदाता बनने के योग्य नहीं है, तो वह नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति ERO द्वारा नाम हटाए जाने के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) के तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 27 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील कर सकते हैं।
- यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए निर्णय से कोई मतदाता असहमत होता है, तो वह द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के समक्ष कर सकता है। यह प्रक्रिया निर्वाचक नियमावली, 1960 के नियम 27 के तहत निर्धारित है।

7. निगरानी और जाँचः

- प्रत्येक BLO सुपरवाइजर अपने अधीनस्थ 10 BLO में से प्रत्येक के 10% कार्य का सत्यापन करेंगे।
- ERO नियमित रूप से AERO, BLO सुपरवाइजर और BLO के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो कि कार्य सतही न हो और लापरवाह पदाधिकारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाए।
- रोल ऑब्जर्वर द्वारा 250 फॉर्म (100 नाम जोड़ने, 100 हटाने, 50 सुधार) की सुपरचेकिंग की जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 फॉर्म का फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य है।

8. बी०एल०ओ० एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षणः

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के आलोक में नई IT सुविधाओं, मॉड्यूल्स और ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया की जानकारी हेतु सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बी०एल०ओ०, ई०आर०ओ०, ए०ई०आर०ओ० सहित संबंधित अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी प्रणालियों का प्रशिक्षण सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक कार्यो से जुड़े प्रत्येक पदाधिकारी एवं कर्मी को दिया जायेगा ताकि निर्वाचन कार्यों का ससमय सटीक संपादन किया जा सके।

9. मतदान केंद्र स्थान में बदलाव की प्रक्रिया सख्त होगीः

- किसी भी मतदान केंद्र के स्थान में परिवर्तन का प्रस्ताव तभी भेजा जाएगा जब उस स्थान की 100% भौतिक जाँच पूरी हो जाए और उसका लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड (अक्षांश और देशांतर) रिकॉर्ड किया जा चुका हो। सभी नए व बदले गए मतदान केंद्रों की जानकारी ECINET डैशबोर्ड पर अपडेट की जाएगी।

- BLO के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों की फोटो, स्थान विवरण और लैटिट्यूड/लॉन्गिट्यूड जानकारी ECINET ऐप में अपलोड की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो।

10. परिवारवार क्रमबद्धता (**Family Grouping**):

- मतदाता सूची में एक ही परिवार के सदस्यों को क्रमबद्ध रूप में दर्शाया जाएगा। जहाँ पंचायत या नगरपालिका द्वारा घर संख्या नहीं दी गई है, वहाँ कल्पित (notional) घर संख्या अंकित की जाएगी और स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि यह अनुमानित है। मतदाता सूची में उल्लिखित पता विवरण हूबहू मतदाता पहचान पत्र (EPIC) में भी प्रतिबिंबित किया जाएगा।

11. राजनीतिक दलों के साथ समन्वयः

- SIR कार्यक्रम की घोषणा होते ही, CEO सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें प्रक्रियाओं की जानकारी देंगे और सहयोग का अनुरोध करेंगे।
- इन बैठकों की मिनट्स ऑफ मीटिंग, उपस्थिति एवं हस्ताक्षर रिकॉर्ड में रखे जाएंगे।
- राजनीतिक दलों से हर मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध किया जाएगा, जो BLO के साथ पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करेंगे।
- CEO ECINet से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दावा–आपत्ति के निष्पादन की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे, ताकि आम नागरिकों को जानकारी मिल सके।
- फॉर्म–6, 6क, 7, और 8 के तहत प्राप्त सभी आवेदन CEO की वेबसाइट पर प्रतिदिन अपडेट किए जाएंगे।
- CEO द्वारा प्रारूप मतदाता सूची, अंतिम मतदाता सूची, तथा दावा–आपत्तियों की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी और राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी।
- CEO यह सुनिश्चित करेंगे कि SIR का कार्यक्रम मीडिया, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं RWA (रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) तक विधिवत रूप से पहुँचाया जाए।
- CEO/DEO/ERO, SIR का कार्यक्रम और दिशा–निर्देश मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पत्र द्वारा भेजेंगे, ताकि उनकी जानकारी और भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- हर DEO द्वारा इस अवधि में प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जिसमें ERO द्वारा राजनीतिक दलों को साप्ताहिक सूची सौंपने की फोटो शामिल होगी।

12. **SIR** कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसारः

- SIR का पूरा कार्यक्रम विवरण के साथ प्रकाशित किया जाएगा।
- राजनीतिक दलों के साथ समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें जनता से दावा–आपत्तियाँ दर्ज कराने की अपील की जाएगी।
- मतदाता सूची का प्रारुप एवं अंतिम प्रकाशन होने पर जनता को विज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि और यदि आवश्यक हो तो अपील कैसे करें, इसकी जानकारी दी जायेगी।

13. मतदान केंद्रों का पुनर्गठन (**Rationalization of Polling Stations**):

- DEO द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर प्रारंभिक मतदान केंद्र सूची पर चर्चा की जाएगी, और इसकी फोटो के साथ प्रेस नोट जारी किया जाएगा।
- आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, CEO द्वारा अंतिम सूची का समेकित प्रेस नोट जारी किया जाएगा।

14. अंतिम मतदाता सूची का स्वरूपः

- ERO यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम मतदाता सूची ड्राफ्ट सूची और SIR के दौरान हुए परिवर्तनों का समेकन हो।
- अंतिम मतदाता सूची में SIR के दौरान किए गए सभी जोड़, संशोधन और विलोपन शामिल होंगे।
- संशोधित/हटाई गई प्रविष्टियों को उनके पुराने क्रमांक (Sl- No.) के सामने ही अपडेट करके दर्शाया जाएगा।
- अंतिम मतदाता सूची को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा और CEO की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

15. निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची का प्रयोगः

- नामांकन की अंतिम तिथि पर प्रत्याशियों को जो मतदाता सूची दी जाएगी, वह एकीकृत और अद्यतन सूची होगी।

16. मतदान केंद्रों का पुनर्गठन (**Rationalization**):

- प्रत्येक मतदान केंद्र में 1,200 से अधिक मतदाता न हों, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
- यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी या प्राकृतिक बाधा पार करके मतदान केंद्र तक न जाना पड़े। शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों, समूह आवास (Group Housing) और झुग्गी बस्तियों में सुविधाजनक स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए व्यापक सर्वे किया जा रहा है।
- सभी प्रस्तावित मतदान केंद्र स्थलों की 100% भौतिक जाँच की जा रही है ताकि भवन सुरक्षित, सुगम और आयोग के मानकों के अनुसार हो।
- राजनीतिक दलों से परामर्शः– नए मतदान केंद्रों के निर्धारण से पूर्व संबंधित राजनीतिक दलों से परामर्श लिया जाएगा ताकि पारदर्शिता और सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- मतदान केन्द्र पुनर्गठन में भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

****

दूरभाष सं:– 0612–2217956
फैक्सः–
0612–2215611 / 2215978
ई–मेलः– ceo_bihar@eci.gov.in

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26.6.2025

भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंह संधु एवं डॉ.विवेक जोशी की अध्यक्षता में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया को प्रांरभ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया को सुचारु रुप से क्रियान्वित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की नौ सदस्यीय टीम को बिहार दौरे हेतु भेजा है।

आज 26.6.2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के दृष्टिगत वरिष्ठ उपनिर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग की 09 सदस्यीय टीम द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल एवं उनके कार्यालय के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग ने कहा कि आगामी विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के दृष्टिगत बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का संपादन कराया जाना है। इस संबंध में श्री संजय कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिशा निर्देश उपस्थित सभी पदाधिकारियों को समझाए गए। इसी क्रम में इस प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई ताकि समय सीमा के अनुरूप सुचारू रूप से पुनरीक्षण कार्यक्रम का संपादन सुनिश्चित किया जा सके।

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के क्रम में बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। आगे ये विशेष गहन पुनरीक्षण अन्य राज्यों में भी किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के स्थान के सामान्य निवासी हैं एवं किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य नहीं है, वे सभी निर्वाचक बनने की अहर्ता रखते हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के अंतर्गत BLO के माध्यम से अथवा ऑनलाइन माध्यम से निर्वाचकों को Enumeration Form (गणना फॉर्म) भरने है। BLO द्वारा घर घर सत्यापन (House-to-house verification) के समय निर्वाचकों को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे एवं पावती उपलब्ध कराई जाएगी । उल्लेखनीय है कि अंतिम रूप से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से गणना फॉर्म उपलब्ध कराने वाले निर्वाचकों का नाम ही प्रारूप प्रकाशन (01.08.2025) में सम्मिलित किया जाएगा।

ऑनलाइन यह सुविधा voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं होगा अथवा वे अपनी प्रविष्टि में सुधार करवाना चाहते है, वे दावा-आपत्ति की अवधि में आवेदन दे सकते हैं। यह पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं नागरिकता नियम, के प्रावधानों के आलोक में निष्पादित किया जाएगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के सफल क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमंडलीय एवं जिला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के साथ बैठक के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग की टीम द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के आलोक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई।

बैठक में आयोग की टीम द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 से संबंधित सभी निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं लक्ष्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों को घर-घर जाकर पूर्व से भरे फॉर्म वितरित एवं संग्रह करने, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ECINET के प्रभावी उपयोग, सामाजिक रूप से वंचित समूहों को प्राथमिकता देने तथा राजनीतिक दलों एवं मीडिया के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाने जैसे विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया गया।

बैठक के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की टीम के द्वारा अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत ECINet ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस ऐप में 'बुक ए कॉल विद BLO' का भी फीचर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता BLO से सीधा संपर्क करते हुए अपनी विभिन्न पृच्छाओं/शिकायतों का समाधान कर सकते है।

पुनरीक्षण कार्य के समयबद्ध एवं सुचारू संचालन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वयंसेवकों की तैनाती की जा सकती है, ताकि गणना फॉर्म के वितरण एवं संग्रहण से संबंधित कार्यों में सहयोग प्रदान किया जा सके।

आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र, 1200 मतदाताओं प्रति केंद्र के मानक के आधार पर मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी कराया जाना है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही परिवार के सदस्य एक ही मतदान केंद्र पर पंजीकृत हों तथा मतदाताओं को मतदान के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।

बैठक के दौरान विभिन्न जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा फील्ड स्तर पर प्राप्त अनुभवों के आधार पर कई महत्त्वपूर्ण सुझाव एवं फीडबैक साझा किए गए, जिन पर आयोग की टीम ने सकारात्मक संवाद स्थापित करते हुए आवश्यक स्पष्टीकरण एवं समाधान प्रदान किए। भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह पुनरीक्षण अभियान पारदर्शी, समावेशी एवं अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला हो, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग की टीम की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानु प्रकाश येतुरू, उप निर्वाचन आयुक्त श्री संजय कुमार, सलाहकार श्री एन. एन. बुटोलिया, प्रधान सचिव अरविंद आनंद, निदेशक श्रीमती विद्यारानी कोंथोउजम, निदेशक श्री मनोज सी., सचिव श्री पवन दिवान तथा उप सचिव श्री अभिनव अग्रवाल शामिल हुए।

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

ई–मेल
दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्सः– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेलः– ceo_bihar@eci.gov.in

27.06.2025

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच (FLC) संपन्न

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन- 2025 के मद्देनजर राज्य में दिनांक 02.05.2025 से संचालित ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच (FLC) का काम दिनांक 25.06.2025 को सभी जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।

ईवीएम के FLC एक प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण तकनीकी जांच प्रक्रिया है, जो प्रत्येक निर्वाचनों के पूर्व संपन्न होती है, जिससे ईवीएम की पूर्ण क्रियाशीलता, पारदर्शिता एवं त्रुटिरहित परिचालन सुनिश्चित किया जाता है। यह प्रक्रिया जिला निर्वाचन पदाधिकारी की निगरानी में ईवीएम विनिर्माता के अभियंताओं द्वारा संपादित किया जाता है। इस दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं।

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के दौरान उपयोग हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद द्वारा विनिर्मित M3 मॉडल ईवीएम उपलब्ध कराया गया है। इन सभी ईवीएम के FLC कार्य के लिए 189 अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

राज्य में कुल 1,76,506 बैलेट यूनिट (BU), 1,28,726 कंट्रोल यूनिट (CU) एवं 1,36,317 वीवीपैट्स का FLC किया गया, इनमें से 1,54,872 BU, 1,22,337 CU एवं 1,29,948 VVPAT "FLC OK" पाए गए हैं, जबकि 21,634 BU (12.26%), 6,389 CU (4.96%) एवं 6,369 VVPAT (4.67%) "FLC Rejected" घोषित किए गए हैं। FLC OK एवं Rejected मशीनों की जानकारी दैनिक रूप से EMS 2.0 पोर्टल पर अपडेट की गई। FLC पूर्ण होने के उपरांत Rejected मशीनों को 09 जिलों में एकत्र कर मरम्मत हेतु ECIL, हैदराबाद को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारियों द्वारा जिलों में FLC के दौरान "सही" पाई गई ईवीएम की सूची EMS 2.0 पोर्टल से डाउनलोड कर उसका प्रिंट सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के जिला अध्यक्षों/सचिवों को उपलब्ध कराया गया है।

FLC कार्य संचालन अवधि में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , बिहार के कार्यालय द्वारा राज्य के सभी 12 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों/सचिवों को 06-06 बार FLC कार्यक्रम की सूचना दी गई थी तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को FLC में भाग लेने हेतु अधिकृत करें। दिनांक 13.05.2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें FLC की प्रगति, जिला स्तरीय उपस्थिति रिपोर्ट एवं दलों की भागीदारी की समीक्षा की गई। सभी दलों से 100% भागीदारी का अनुरोध किया गया। FLC कार्य आरंभ होने से पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों/सचिवों को लिखित सूचना दी गई एवं बैठक कर उन्हें FLC प्रक्रिया के बारे में बताया गया। सभी जिलों द्वारा वैसे दलों को जो FLC के दौरान उपस्थित नहीं हो रहे थे, उन्हें समेकित रूप से 200 से अधिक बार FLC कार्य में भागीदारी हेतु पत्र लिखा गया।

राजनीतिक दलों की भागीदारी की स्थिति इस प्रकार है:

भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल) एल, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू.) एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रतिनिधियों की FLC में सक्रिय भागीदारी रही। इनके द्वारा राज्य के अधिकांश जिलों में FLC कार्य में दैनिक रूप से भागीदारी रही। वहीं आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भागीदारी सीमित रही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी द्वारा किसी जिले में FLC कार्य में भाग नहीं लिया गया।

जिलावार उपस्थिति स्थिति:

बेगूसराय, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, अररिया, भागलपुर, शेखपुरा, समस्तीपुर, खगड़िया, मधुबनी, नवादा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, कटिहार, औरंगाबाद, रोहतास, मुंगेर, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, मधेपुरा, शिवहर एवं जमुई में दलों की उपस्थिति काफी अच्छी रही है। इन 31 जिलों में अधिकांश दलों ने FLC कार्य में भाग लिया।

07 जिलों यथा बांका, दरभंगा, किशनगंज, गयाजी, गोपालगंज, नालंदा एवं सुपौल में कुछ कम दलों की भागीदारी रही है।

सभी दलों ने प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं व्यवस्था से प्रसन्नता व्यक्त किया गया।

FLC की निगरानी

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय द्वारा FLC प्रक्रिया की गहन एवं सतत निगरानी गई। सभी जिलों के FLC की लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से आयोग एवं CEO ऑफिस के स्तर से निगरानी की गई।

इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से भी निगरानी की गई। निर्वाचन आयुक्त श्री विवेक जोशी ने पूर्वी चंपारण जिले के FLC का निरीक्षण किया गया। आयोग द्वारा सभी जिलों में FLC प्रक्रिया की जांच हेतु 28 पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई, जिनमें आयोग के वरीय पदाधिकारी एवं अन्य राज्यों के ईवीएम नोडल पदाधिकारी शामिल थे। सभी पदाधिकारियों ने FLC कार्य की व्यवस्था एवं गुणवत्ता की सराहना की गई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा भी पटना एवं कटिहार जिले के FLC हॉल का निरीक्षण किया गया। साथ ही, कार्यालय के वरीय पदाधिकारियों एवं प्रमंडलीय उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के माध्यम से अलग से राज्यभर में भ्रमण कर सभी जिलों के FLC प्रक्रिया की प्रगति की सतत समीक्षा की गई।

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं०:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 29 जून 2025

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रगति - अब तक एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को वितरित हो चुके हैं गणना फॉर्म

बिहार में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का कार्य राज्य भर में तीव्र गति से चल रहा है। यह प्रक्रिया 25 जून 2025 से प्रारंभ हुई है, जिसके अंतर्गत मतदान केंद्र पदाधिकारी द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) का वितरण किया जा रहा है। अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में बिहार देश का प्रथम ऐसा राज्य है जहां पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन और गणना फॉर्म के वितरण-संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु तथा निर्वाचन मशीनरी को पूर्ण मनोयोग और मनोबल के साथ इस कार्य में समर्पित बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी स्वयं फील्ड भ्रमण कर रहे हैं। वे मतदान केंद्र पदाधिकारियों के साथ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं एवं उनके कार्यों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बिहार के सभी राजनीतिक दल सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अब तक 1.5 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की नियुक्ति की जा चुकी है जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची के सत्यापन में लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल लगातार और अधिक बीएलए नियुक्त कर रहे हैं ताकि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे समय रहते प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बीएलए नियुक्त करें ताकि बाद में मतदाता सूची में त्रुटियों की शिकायत करने की आवश्यकता ही न पड़े। आयोग का स्पष्ट मत है कि सही समय पर सहभागिता से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रह सकती है।

वर्तमान 7,89,69,844 मतदाताओं में से लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम पहले से दिनांक 01.01.2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं। ऐसे मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। इसके अतिरिक्त यदि किसी मतदाता के माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति 01.01.2003 तक मतदाता सूची में शामिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को इस विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान नामांकन के लिए उनसे संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी चाहे उस व्यक्ति की जन्मतिथि कुछ भी हो।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की नियमित गतिविधियों को देखने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के सोशल मीडिया हैंडल्स में भी सभी अपडेट जा रहे हैं।

कार्य को गति देने हेतु सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं, विकास मित्रों, जीविका दीदियों, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र आदि के स्वयंसेवकों की सहायता लें। ये स्वयंसेवक न केवल मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता करेंगे, बल्कि मतदान केंद्र पदाधिकारियों को वितरण व संग्रहण कार्य में भी सहयोग प्रदान करेंगे।

इसके अतिरिक्त https://voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी मतदाता स्वयं गणना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।

इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार हैं:

घर-घर सर्वेक्षण: 25 जून से 26 जुलाई 2025

प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन: 1 अगस्त 2025

दावा और आपत्ति की अवधि: 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर 2025

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल ने प्रत्येक मतदाता से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएँ। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि वे समय रहते अपना गणना प्रपत्र भरें, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से सत्यापन सुनिश्चित करें एवं इस ऐतिहासिक पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनें। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 05.07.2025

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कार्य जोर–शोर से चल रहा है। आज शाम 7:00 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में कुल 1,12,01,674 गणना प्रपत्र एकत्रित किए गए हैं, जो कुल संभावित मतदाताओं की संख्या का 14.18% है।

इसके अतिरिक्त, कुल अपलोड किए गए गणना प्रपत्रों की संख्या 23,90,329 रही, जिसमें से 23,14,602 प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से अपलोड किए गए, जबकि 75,789 प्रपत्र आम निर्वाचकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किए गए।

साथ ही, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रदर्शन के आधार पर, बिहार में टॉप प्रदर्शन करने वाले जिलों तथा अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन करने वाले जिलों की एक सूची भी जारी की जा रही है ताकि राज्य स्तर पर मुख्यालय द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके एवं आम नागरिकों एवं सभी सहभागी पक्षों को भी अभियान की गति की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल की अपील है कि बिहार के सभी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण में सक्रियता से भागीदारी करते हुए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यमों से गणना प्रपत्र अवश्य भरें। सभी सहभागी पक्ष भी इस अभियान को आम मतदाताओं तक ले जाने में निर्वाचन मशीनरी का सहयोग करे ताकि कोई भी योग्य मतदाता न छूटे।

मतदाताओं हेतु वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट voters.eci.gov.in लिंक पर उपलब्ध है इसके साथ ही यह सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in पद पर भी उपलब्ध है।

मतदाता इस अभियान के संबंध में किसी भी जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं अथवा मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं।

SIR Progress Report Date 05-07-2025

Submissions of enumeration forms by BLO (top performing 5 districts)		
Rank	**District**	**Submissions by BLO**
1	Vaishali	1,76,563
2	Patna	1,61,498
3	Purvi Champaran	1,43,173
4	Nalanda	1,32,666
5	Samastipur	1,03,219

Submissions of enumeration forms by BLO (lowest performing 5 districts)		
Rank	**District**	**Submissions by BLO**
1	Lakhisarai	4,132
2	Buxar	13,472
3	Kaimur (Bhabua)	17,258
4	Munger	18,105
5	Sheohar	21870

Rank	District	Submissions of enumeration forms by Citizens (Top performing districts)
1	Patna	8,348
2	Gopalganj	7,791
3	Nalanda	4,718
4	Madhubani	4,353
5	Muzaffarpur	3,645

Rank	District	Submissions of enumeration forms by Citizens (5 lowest performing districts)
1	Sheohar	447
2	Madhepura	469
3	Kaimur (Bhabua)	523
4	Lakhisarai	542
5	Sheikhpura	613

Rank	District	Total Submissions of enumeration forms by Citizens + BLO (Top performing 5 districts)
1	Vaishali	1,78,474
2	Patna	1,69,846
3	Purvi Champaran	1,46,007
4	Nalanda	1,37,384
5	Samastipur	1,05,183

Rank	District	Total Submissions of enumeration forms by Citizens + BLO (lowest performing 5 districts)
1	Lakhisarai	4,674
2	Buxar	14,415
3	Kaimur (Bhabua)	17,781
4	Munger	19,532
5	Sheohar	22,317

Collection Percentage of Enumeration Forms (Top performing 5 districts)		
Sl No	**District Name**	**Percentage**
1	Vaishali	25.83
2	Supaul	22.46
3	Nawada	22.29
4	Kaimur	21.98
5	Arwal	20.54
Collection Percentage of Enumeration Forms (lowest performing 5 districts)		
1	Saharsa	6.43
2	Katihar	7.54
3	Aurangabad	8.18
4	Lakhisarai	8.93
5	Madhubani	9.39

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 05.07.2025

बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इस महत्त्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में मतदान केंद्र पदाधिकारियों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। उनकी सक्रियता और समर्पण को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है।

निर्णय के अनुसार, मतदान केंद्र पदाधिकारियों को इस अभियान में उनके विशेष योगदान के लिए ₹6000 का अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन राशि उनके द्वारा अभियान के दौरान किए गए परिश्रम और प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के आलोक में हर मतदाता तक पहुंचने और किसी भी पात्र व्यक्ति को मतदाता सूची से वंचित न रहने देने के लिए मतदान केंद्र पदाधिकारियों द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। यह अतिरिक्त मानदेय उनके मनोबल को और बढ़ाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में पूरी निर्वाचन मशीनरी को एकजुट होकर पूर्ण परिश्रम, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना है ताकि कोई भी योग्य मतदाता न छूटे।

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

ई–मेल

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

दिनांक 12.07.2025

सभी नगरीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की ओर से राज्य के नगरीय क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अपील की जाती है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 में सक्रिय रूप से भाग लें। यह अभियान 25 जुलाई, 2025 तक संचालित किया जा रहा है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के अंतर्गत मतदाताओं की भागीदारी उत्साहजनक रही है और अब तक लगभग 77% गणना प्रपत्रों का संकलन किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर, नगरीय क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। उदाहरणस्वरुप विभिन्न शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में गणना प्रपत्र के संकलन के आंकड़े निम्नवत हैं- दीघा विधानसभा क्षेत्र - 64%, कुम्हरार - 67%, बांकीपुर - 72%, पटना साहिब - 74.21%, दानापुर - 73%, गया टाउन - 69%, भागलपुर (टाउन)–71%, मुजफ्फरपुर (टाउन)– 70%
- नगरीय क्षेत्रों में केवल गणना प्रपत्रों का संकलन ही नहीं, वोट प्रतिशत भी सामान्यतः कम दर्ज होता है, जो निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की उदासीनता को दर्शाता है।
- नगरीय क्षेत्रों में पूर्व में Prefilled गणना प्रपत्र भी उपलध कराये गए थे जिसमें से 60-65 प्रतिशत भरकर वापस आ गए हैं परन्तु शेष फॉर्म अप्राप्त हैं।
- पुनः वर्तमान अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में BLO एवं नगर निकाय के कर्मियों द्वारा हर घर दस्तक कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस प्रपत्र में आपको निम्न जानकारी भरनी है- नाम, ईपीआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, अन्य आवश्यक विवरण और अपना पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना है।

- इसके अतिरिक्त आप अपना Prefilled गणना प्रपत्र voters.eci.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं या गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
- यदि आपके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी के साथ गणना प्रपत्र तुरंत भरकर जमा कर दें, ताकि 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारुप मतदाता सूची में आपका नाम आ जाये। आपके द्वारा आवश्यक दस्तावेज दावा-आपत्ति अवधि 01 अगस्त, 2025 से 01 सिंतबर, 2025 के बीच भी बीएलओ को उपलब्ध कराया जा सकता है।

लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए आपकी भागीदारी अनिवार्य है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को सफल बनाने में आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। याद रखें, आपकी सहभागिता ही लोकतंत्र की असली ताकत है।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 19 जुलाई, 2025

बिहार में 12,817 नये मतदान केन्द्रों की स्थापना, कुल संख्या बढ़कर हुई 90,712

भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में अर्हता तिथि 01.07.2025 के आधार पर चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के क्रम में प्रति मतदान केन्द्र अधिकतम 1200 निर्वाचकों के निर्धारित मानक के अनुसार बिहार राज्य में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया संपन्न की गई है। इस प्रक्रिया के तहत सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुझाव प्राप्त किए गए। इन सुझावों के आधार पर मतदान केन्द्रों के पुनर्संरचना का प्रस्ताव तैयार कर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसे आयोग ने अपने पत्रांक 64/पूर्व अनु०–1/बिहार–विधानसभा/2025,दिनांक 18-07-2025 द्वारा अनुमोदित कर सूचित किया है।

युक्तिकरण से पूर्व राज्य में कुल 77,895 मतदान केन्द्र थे। आयोग से प्राप्त अनुमोदन के उपरांत 12,817 नये मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिससे अब बिहार में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 90,712 हो गई है। इनमें से 12,479 मतदान केन्द्र उसी भवन या परिसर में स्थापित किए गए हैं, जबकि केवल 338 मतदान केन्द्रों का स्थान निकटस्थ परिसर में स्थानांतरित किया गया है।

नवनिर्मित मतदान केन्द्रों की जिलावार संख्यात्मक सूची दिनांक 19.07.2025 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ आयोजित बैठक के दौरान साझा की गई है। इसके अतिरिक्त, सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन नये मतदान केन्द्रों की जानकारी सभी राजनीतिक दलों एवं संबंधित हितधारकों को अविलंब उपलब्ध कराएं तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि प्रत्येक मतदाता तक यह जानकारी समय पर पहुँच सके।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 29 जुलाई, 2025

ईवीएम के संबंध में जागरूकता हेतु प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना।

आगामी बिहार में विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में मतदाताओं के बीच EVM तथा VVPAT के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने हेतु राज्य में 100 ईवीएम प्रदर्शन केंद्रों (EVM Demonstration Center - EDC) की स्थापना की गई है। यह केंद्र राज्य के सभी जिला मुख्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय में स्थापित किया गया है। यहां बैलट यूनिट (BU), कंट्रोल यूनिट (CU) एवं वीवीपैट (VVPAT) उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही EVM के जानकार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में स्थापित इन ईवीएम प्रदर्शन केंद्रों में मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट की प्रक्रियागत जानकारी दी जाती है तथा मॉक वोट डालकर उन्हें EVM & VVPATs की सहायता से मतदान का हैंड्स ऑन कराया जाता है। इससे उनमें मतदान के दौरान आत्मविश्वास पैदा होता है। ईवीएम संबंधी भ्रांतियों/शंकाओं का समाधान किया जाता है। मतदान के ट्रायल से उनका चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर विश्वास बढ़ता है। ईवीएम प्रदर्शन केंद्रों में स्थानीय भाषा में सरल तरीके से जानकारी दी जाती है जिससे समाज का हर वर्ग EVM एवं VVPATs को समझ सके।

राज्य में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र चुनाव की घोषणा/प्रेस नोट की तिथि तक कार्यरत रहेगा इसके उपरांत यह बंद हो जाएगा। दिनांक 15.07.2025 को स्थापित होने की तिथि से राज्य में अब तक यहां लगभग पंद्रह हजार लोग ईवीएम तथा वीवीपैट की सहायता से मतदान की प्रक्रिया से अवगत हो चुके है।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 14 अगस्त, 2025

मोबाइल ई॰वी॰एम॰ डेमोंस्ट्रेशन वैन के माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने का अभियान

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय द्वारा राज्य के सभी जिलों में स्थित प्रत्येक मतदान भवनों (PSL), निर्वाचक साक्षरता क्लबों आदि में मोबाइल डेमोंस्ट्रेशन वैन (MDV) चलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह कार्य राज्य के सभी जिलों में दिनांक 18.08.2025 से प्रारंभ होगा। इसका परिचालन राज्य के सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 48043 मतदान भवनों में किया जाएगा। इस कार्य हेतु कुल 318 MDV चलाये जाने की योजना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इस कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन कर सकते हैं। 01 माह के अंदर सभी प्रदर्शन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की तिथि घोषित करने के तुरंत बाद यह प्रदर्शन रोक दिया जाएगा।

मोबाइल डेमोंस्ट्रेशन वैन (MDV) का मुख्य उद्देश्य आम जनता को ई॰वी॰एम॰ और वी॰वी॰पैट के प्रयोग एवं कार्यप्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना है, ताकि मतदान प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार की भ्रांतियां दूर हों और मतदाता आत्मविश्वास के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस पहल का एक विशेष उद्देश्य प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को मतदान प्रक्रिया में सहजता प्रदान करना है। अनेक बार देखा गया है कि तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण मतदाता मतदान केंद्र पर संकोच महसूस करते हैं। इस वैन के माध्यम से उन्हें पहले ही प्रायोगिक अनुभव मिल जाएगा, जिससे मतदान दिवस पर वे बिना किसी झिझक के मतदान कर पाएंगे।

इस वैन में प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध रहेंगे, जो लोगों को ई॰वी॰एम॰ के बटन दबाने से लेकर वी॰वी॰पैट स्लिप देखने तक की पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमोंस्ट्रेशन देंगे। इसके अलावा नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर भी मौके पर दिए जाएंगे। वैन में ऑडियो–विजुअल सामग्री, पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से भी मतदान से जुड़ी जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके मार्ग एवं समय की सूचना समय–समय पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी।

विदित हो कि राज्य के सभी जिलों/अनुमण्डल कार्यालयों में 100 ई॰वी॰एम॰ डेमोंस्ट्रेशन सेन्टर स्थापित किये गये है। जहाँ अब तक 39871 लोगों ने अब तक भ्रमण कर ई॰वी॰एम॰ के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी है। इनमें से 37918 लोगों द्वारा मॉक वोट डालकर मतदान का पूर्वाभ्यास किया गया है।

निर्वाचन आयोग का मानना है कि ई॰वी॰एम॰ एवं वी॰वी॰पैट की पारदर्शी और सुरक्षित प्रणाली के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना, मतदान प्रतिशत बढ़ाने और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 20 अगस्त, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु जिला स्तरीय कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभाकक्ष में विभिन्न जिला स्तरीय कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में दिनांक 20.08.2025 को कार्मिक कोषांग तथा प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की महत्ता पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों का सही नियोजन और प्रभावी प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री संजीव कुमार मिश्रा, वरीय निदेशक एन.आई.सी, श्री मनोज कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्रीमती शिखा सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा आयोग के निर्देशों, नवीन प्रावधानों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी नोडल पदाधिकारियों को दी गई, ताकि जिला स्तर पर निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। प्रशिक्षण में सभी 38 जिलों के नोडल पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 21 अगस्त, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन–2025 हेतु जिला स्तरीय कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभाकक्ष में विभिन्न जिला स्तरीय कोपांगों के नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में दिनांक 21.08.2025 को ईवीएम कोपांग तथा सामग्री कोपांग के नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।

इस अवसर पर श्री विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने सामग्री कोपांग के सभी नोडल पदाधिकारियों को इलेक्शन प्लानर के अनुसार सामाग्रियों की तैयारी, सामग्रियों की गुणवत्ता, प्रपत्रों/लिफाफा का मुद्रण आदि कार्यों का निष्पादन करने का निदेश दिया।

इससे पहले प्रशिक्षण के पहले सत्र में ईवीएम कोपांग के नोडल पदाधिकारियों को ईवीएम (बीयू एवं सीयू) वीवीपैट के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एफएलसी, कमिशनिंग, मॉक पोल, मतदान के पूर्व, मतदान समाप्ति के पश्चात ईवीएम से संबंधित सभी कार्यों की तकनीकी जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री धीरज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती शिखा सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती प्रियदर्शी पाल, अवर निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा आयोग के निर्देशों, नवीन प्रावधानों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी नोडल पदाधिकारियों को दी गई, ताकि जिला स्तर पर निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। प्रशिक्षण में सभी 38 जिलों के नोडल पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 22 अगस्त, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के दृष्टिगत कम्प्यूटराईजेशन एवं आईटी तथा निर्वाचक नामावली कोषांग का प्रशिक्षण

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन–2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभाकक्ष में शुक्रवार को जिला स्तरीय कम्प्यूटराईजेशन एवं आईटी तथा निर्वाचक नामावली कोपांग के नोडल पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर श्री विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने निर्वाचक नामावली तथा मतदान केंद्रों पर उपयोग में लाए जाने वाले मतदान सूची की कार्यकारी प्रति की तैयारी के संबंध में महत्वपूर्ण निदेश दिए। प्रशिक्षण के पहले सत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संचालन के क्रम में प्रयोग में लाए जा रहे आईटी ऐप्लिकेशन्स यथा– इनकोर, ईएसएमएस, सी–विजिल आदि के बारे में जिला के तकनीकी पदाधिकारी जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (डीआईओ) तथा आईटी मैनेजर को जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती निवेदिता सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती शिखा सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री मनीप कुमार, सिस्टम एनालिस्ट द्वारा आयोग के निर्देशों, नवीन प्रावधानों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी नोडल पदाधिकारियों को दी गई, ताकि जिला स्तर पर निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके।

प्रशिक्षण में सभी 38 जिलों के नोडल पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शनिवार को शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाइन कोपांग तथा वाहन कोपांग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 23 अगस्त, 2025

जिला स्तरीय शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाइन कोषांग तथा वाहन कोषांग के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभाकक्ष में शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाइन कोषांग तथा वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिला स्तरीय शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाइन कोषांग के नोडल पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान परिवाद प्राप्त होने के विभिन्न स्त्रोतों/माध्यमों की जानकारी (ऑनलाइन तथा ऑफलाइन), रिकॉर्ड संधारण का महत्व एवं नमूना तथा समाधान पोर्टल, c-Vigil, संभावित परिवादों का श्रेणीवार विवरण एवं अपेक्षित समाधान, कॉल सेंटर/वोटर हेल्पलाइन की भूमिका, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुश्रवण तथा परिवाद के निष्पादन के व्यावहारिक बिन्दु के बारे में विस्तार से बताया गया।

प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में जिला स्तरीय वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारियों को निर्वाचन संचालन के क्रम में परिवहन विभाग द्वारा निर्गत मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत वाहनों का अधिग्रहण एवं विमुक्ति, भुगतान की प्रक्रिया, वाहनों की आवश्यकता आदि के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देश के अनुसार कार्य संपादित करने का निदेश दिया गया। प्रशिक्षण में सुगम निर्वाचन संचालन के संदर्भ में VMS (Vehicle Management System) के बारे में भी नोडल पदाधिकारियों एवं डीटीओ ऑफिस के प्रोग्रामर को तकनीकी जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, श्री प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री किशोर कुमार, उप सचिव, सुश्री दिव्यांशी श्रीवास्तव, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती शिखा सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री मनीष कुमार, सिस्टम एनालिस्ट द्वारा आयोग के निर्देशों, नवीन प्रावधानों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी नोडल पदाधिकारियों को दी गई, ताकि जिला स्तर पर निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। प्रशिक्षण में सभी 38 जिलों के नोडल पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 25 अगस्त, 2025

जिला स्तरीय विधि व्यवस्था, भेद्यता मानचित्र एवं सिक्यूरिटी प्लान तथा निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभाकक्ष में सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय विधि व्यवस्था, भेद्यता मानचित्र एवं सिक्यूरिटी प्लान तथा निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में विधि व्यवस्था, भेद्यता मानचित्र एवं सिक्यूरिटी प्लान कोषांग के नोडल पदाधिकारियों एवं सभी जिला मुख्यालय के पुलिस उपाधीक्षक को विधि व्यवस्था, भेद्यता मानचित्र एवं सिक्यूरिटी प्लान से संबंधित जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में सभी जिला स्तरीय निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देश के आलोक में निर्वाचन व्यय अनुश्रवण से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही सभी नोडल पदाधिकारियों को ESMS (Election Seizure Management System) के बारे में विस्तार से बताया गया।

प्रशिक्षण के दौरान श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री मनोज कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री किशोर कुमार, उप सचिव, श्री विरेन्द्र कुमार साहू, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, श्री धीरज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री मनीष कुमार, सिस्टम एनालिस्ट द्वारा आयोग के निर्देशों, नवीन प्रावधानों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी नोडल पदाधिकारियों को दी गई, ताकि जिला स्तर पर निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। प्रशिक्षण में सभी 38 जिलों के नोडल पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 26 अगस्त, 2025

निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारियों की बैठक

बिहार विधानसभा आम चुनाव, 2025 के दृष्टिगत मंगलवार को श्री विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की अध्यक्षता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के सभागार में निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में नोडल पदाधिकारियों को चुनाव व्यय निगरानी का उद्देश्य और अवलोकन तथा कानूनी प्रावधान/व्यय तंत्र/रिपोर्टिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही ESMS (Election Seizure Management System) के बारे में विस्तार से बताया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल ने अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, नशीले पदार्थो आदि के आवागमन एवं वितरण पर नजर रखने हेतु सभी प्रवधानों पर महत्वपूर्ण निदेश दिए।

बैठक में एडीजी श्री कमल किशोर सिंह, अपर सचिव श्री माधव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव श्री मिथलेश कुमार साहू, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री रत्नांबर निलय, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियदर्शी पाल एवं सिस्टम एनालिस्ट श्री मनीष कुमार के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों, नवीन प्रवधानों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

बैठक में राज्य पुलिस मुख्यालय, आयकर विभाग, सीजीएसटी, एसजीएसटी, डीआरआई, स्टेट एक्साइज, एनसीबी, ईडी, सीआईएसएफ, डाक विभाग, आरपीएफ, वन विभाग, एसएलबीसी, आरबीआई, एएआई, सिविल एविएशन, परिवहन विभाग, कोऑपरेटिव विभाग, एसएसबी, बीएसएफ, स्टेट सिविल एविएशन विभाग के राज्य नोडल पदाधिकारियों एवं तकनीकी पदाधिकारियों ने बैठक में सहभागिता की।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 27 अगस्त, 2025

जिला स्तरीय मीडिया तथा स्वीप नोडल पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

मिसइन्फॉर्मेशन (गलत सूचना), डिसइन्फॉर्मेशन (भ्रामक सूचना), फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर कड़ी नज़र रखने का निर्देश

आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के सभागार में सभी जिलों के मीडिया, सोशल मीडिया तथा स्वीप नोडल पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, मतदाताओं को सही एवं प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराना तथा फर्जी सूचनाओं, अफवाहों और पेड न्यूज पर रोकथाम के लिए कारगर रणनीति तैयार करना था।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि बदलते समय में चुनावों के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से त्वरित सूचना प्रसार के कारण मिसइन्फॉर्मेशन (गलत सूचना), डिसइन्फॉर्मेशन (भ्रामक सूचना), फेक न्यूज (झूठी खबरें) और पेड न्यूज (प्रायोजित खबरें) जैसी चुनौतियाँ बढ़ी हैं। इन पर समय रहते नियंत्रण और प्रभावी मॉनिटरिंग से ही निर्वाचन की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रह सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) की सक्रिय भूमिका इस बार और अधिक महत्वपूर्ण होगी। MCMC द्वारा सभी स्तरों पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी प्रचार सामग्री बिना अनुमति के प्रकाशित या प्रसारित न हो। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाली सामग्रियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

मतदाता सहभागिता बढ़ाने पर जोर देते हुए श्री गुंजियाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य अधिकाधिक मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जोड़ना है। इसके लिए सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP) के तहत जिले स्तर पर रचनात्मक और स्थानीय स्तर पर प्रभावी गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे युवा मतदाताओं, महिला मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और प्रवासी श्रमिकों की प्रभावी भागीदारी निर्वाचन प्रक्रिया में सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे, ताकि आगामी मतदान में सभी की समावेशी सहभागिता हो सके।

बैठक में अपर सचिव श्री माधव कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री रत्नांबर निलय, राज्य मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रभारी–सह–स्वीप प्रभारी श्री कपिल शर्मा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुश्री दिव्यांशी श्रीवास्तव तथा जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रंजीत रंजन ने प्रशिक्षणार्थियों को विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका, शिकायत निवारण प्रणाली, आचार संहिता अनुपालन, पेड न्यूज की पहचान और SVEEP गतिविधियों के नवाचार पर जानकारी दी।

प्रशिक्षण सत्र में जिला स्तर के अधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से विभिन्न प्रश्न पूछे। इस दौरान व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह बताया गया कि किस प्रकार भ्रामक सूचना की पहचान कर उसे सही तथ्यों के साथ सार्वजनिक किया जा सकता है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की कार्यप्रणाली को और अधिक सशक्त किया जाएगा तथा प्रत्येक जिले में मीडिया प्रभारी और स्वीप नोडल अधिकारी नियमित रूप से समीक्षा बैठकें करेंगे। कार्यक्रम में सभी जिलों के मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रभारी तथा स्वीप नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 28 अगस्त, 2025

जिला स्तरीय कम्यूनिकेशन प्लान एवं प्रेक्षक कोषांग के नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभाकक्ष में गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय कम्यूनिकेशन प्लान एवं प्रेक्षक कोषांग के नोडल पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कम्यूनिकेशन प्लान संबंधी प्रशिक्षण के तहत सभी जिलों से आए नोडल पदाधिकारियों को प्री–पोल, पोल–डे तथा पोस्ट–पोल अवधि को ध्यान में रखते हुए समग्र कम्यूनिकेशन प्लान तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस योजना के अंतर्गत उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस पदाधिकारी, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर तथा जनरल स्तर पर कम्यूनिकेशन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करना तथा मतदान के दिन प्राप्त होने वाली जन–शिकायतों का त्वरित निष्पादन करने हेतु एक संगठित एवं सुदृढ़ तंत्र विकसित करना है।

प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में जिला स्तरीय प्रेक्षक कोषांग के नोडल पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक संबंधी निर्देशों से अवगत कराया गया। साथ ही ऑब्जर्वर पोर्टल तथा विभिन्न मोबाइल ऐप्स के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे प्रेक्षक निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदनों को ऑनलाइन माध्यम से आयोग को प्रेषित कर सकें।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती शिखा सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सुश्री प्रियदर्शी पाल, अवर निर्वाचन पदाधिकारी तथा श्री मनीष कुमार, सिस्टम एनालिस्ट द्वारा आयोग के निर्देशों, नवीन प्रावधानों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सभी 38 जिलों के नोडल पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 29 अगस्त, 2025

जिला स्तरीय आदर्श आचार संहिता तथा बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएमएस (Electronically Transmitted Postal Ballot Management System) कोषांग के नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में शुक्रवार को विभागीय सभागार में जिला स्तरीय आदर्श आचार संहिता तथा बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएमएस कोषांग कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण में नोडल पदाधिकारियों को प्रेस नोट, अधिसूचना, राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों हेतु आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किए जाने, वाहनों का परिचालन, प्रचार–प्रसार, पदाधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन, संपत्ति विरूपण अधिनियम, लाउडस्पीकर एक्ट, आर.पी. एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय न्याय संहिता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएमएस (Electronically Transmitted Postal Ballot Management System) के तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती निवेदिता सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री मनीष कुमार, सिस्टम एनालिस्ट द्वारा आयोग के निर्देशों, नवीन प्रावधानों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया, ताकि जिला स्तर पर निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। प्रशिक्षण में सभी 38 जिलों के नोडल पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति 31.08.2025

- इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने जिला निर्वाचन अधिकारिओं को बिहार के करीब 89 लाख लोगो के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए, पिछले 1-2 दिनों में, पत्र दिए हैं।

- नियमानुसार व चुनाव आयोग के निर्देशों के अंतर्गत कोई भी नाम काटने की आपत्ति:
  - निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 13 के तहत, सिर्फ़ फॉर्म 7 में दी जा सकती है, या
  - बूथ लेवल एजेंट्स, जो की राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किए जाते है, द्वारा निर्धारित प्रपत्र व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अनुसार घोषणा के साथ दिया जा सकता है।

- माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी, अपने 22.08.2025 के अंतरिम आदेश में, यह स्पष्ट किया है की 12 राजनैतिक दलों के द्वारा प्रारूप मतदाता सूची में कोई भी ग़लत नाम की जानकारी संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में जमा करायें।

- अपितु कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के द्वारा दी गई आपति निर्धारित प्रपत्र में नहीं है, जिला निर्वाचन अधिकारी इन आपत्तियों को संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारिओं को उचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित कर रहे है।

- इस दौरान यह अपेक्षित है कि करीब 89 लाख मतदाताओं, जो की एक बहुत बड़ी संख्या है, के नाम काटने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के अंतर्गत, अपने विवेकानुसार, निर्धारित शपथ लेने के बाद, करीब 89 लाख मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया पर समुचित निर्णय लेंगे।

***

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 02 सितम्बर, 2025

राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMTs) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMTs) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विभागीय सभागार पटना में किया जा रहा है। प्रशिक्षण के पहले दिन मंगलवार को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

प्रशिक्षण की शुरुआत पंजीकरण के साथ हुई। इसके बाद श्री अशोक प्रियदर्शी, एनएलएमटी ने पात्रता एवं अपात्रता, नामांकन और आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने नामांकन पत्रों की जांच, प्रत्याशी के द्वारा नामांकन की वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की।

श्रीमती निवेदिता सिन्हा, एनएलएमटी ने भेद्यता मानचित्रण (Vulnerability Mapping) एवं जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना पर सत्र लिया। साथ ही मतदान दल, मतदान सामग्री की उपलब्धता, पोलिंग स्टेशन प्रबंधन और निर्वाचक सूची से संबंधित व्यावहारिक जानकारी दी। दूसरे सत्र में श्री अशोक प्रियदर्शी ने डाक मतपत्र (Postal Ballot) की प्रक्रिया स्पष्ट की, जबकि श्री मनोज कुमार सिंह, एनएलएमटी ने निर्वाचन व्यय अनुश्रवण (Expenditure Monitoring) से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण के दौरान श्री अमित कुमार पाण्डेय, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री प्रशांत कुमार सी०एच०, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों को बताया गया कि इन विषयों का गहन अध्ययन और व्यावहारिक क्रियान्वयन ही आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होगा।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 03 सितम्बर, 2025

राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMTs) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMTs) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को विभागीय सभागार, पटना में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दूसरे व अंतिम दिन बुधवार को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMTs) को पेड न्यूज, एमसीएमसी (Media Certification & Media Committee), आदर्श आचार संहिता, स्वीप (Systematic Voter's Education and Electoral Participation), आईटी ऐप्लिकेशन्स, नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, ETPBMS (Electronically Transmitted Postal Ballot Management System), मतदान दिवस, मतगणना, एवं चुनाव परिणाम घोषित करने से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

प्रथम सत्र में आज ईवीएम एवं वीवीपैट के संचालन एवं उससे संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी श्री धीरज कुमार, एनएलएमटी द्वारा दी गई।

इसके पश्चात दूसरे सत्र में पेड न्यूज एवं एमसीएमसी (मीडिया मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन कमेटी) तथा मीडिया शिकायतों के निवारण से संबंधित विषयों पर श्री कपिल शर्मा, एनएलएमटी ने प्रशिक्षण दिया।

तीसरे सत्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आदर्श आचार संहिता) से संबंधित प्रावधानों एवं व्यवहारिक अनुपालन पर श्री अशोक प्रियदर्शी, एनएलएमटी ने विस्तार से चर्चा की।

अंतिम सत्र में मतदाता जागरूकता एवं स्वीप गतिविधियों से जुड़े विषयों पर श्री कपिल शर्मा, एनएलएमटी ने प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया।

प्रशिक्षण के दौरान श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती निवेदिता सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा श्री मनीष कुमार, (एसएलए) द्वारा प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों को बताया गया कि इन विषयों का गहन अध्ययन और व्यावहारिक क्रियान्वयन ही आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होगा।

कार्यक्रम के उपरांत प्रतिभागियों ने निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने हेतु प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 03 सितम्बर, 2025

राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMTs) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMTs) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को विभागीय सभागार, पटना में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दूसरे व अंतिम दिन बुधवार को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMTs) को पेड न्यूज, एमसीएमसी (Media Certification & Media Committee), आदर्श आचार संहिता, स्वीप (Systematic Voter's Education and Electoral Participation), आईटी ऐप्लिकेशन्स, नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, ETPBMS (Electronically Transmitted Postal Ballot Management System), मतदान दिवस, मतगणना, एवं चुनाव परिणाम घोषित करने से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

प्रथम सत्र में आज ईवीएम एवं वीवीपैट के संचालन एवं उससे संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी श्री धीरज कुमार, एनएलएमटी द्वारा दी गई।

इसके पश्चात दूसरे सत्र में पेड न्यूज एवं एमसीएमसी (मीडिया मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन कमेटी) तथा मीडिया शिकायतों के निवारण से संबंधित विषयों पर श्री कपिल शर्मा, एनएलएमटी ने प्रशिक्षण दिया।

तीसरे सत्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आदर्श आचार संहिता) से संबंधित प्रावधानों एवं व्यवहारिक अनुपालन पर श्री अशोक प्रियदर्शी, एनएलएमटी ने विस्तार से चर्चा की।

अंतिम सत्र में मतदाता जागरूकता एवं स्वीप गतिविधियों से जुड़े विषयों पर श्री कपिल शर्मा, एनएलएमटी ने प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया।

प्रशिक्षण के दौरान श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती निवेदिता सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा श्री मनीष कुमार, (एसएलए) द्वारा प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों को बताया गया कि इन विषयों का गहन अध्ययन और व्यावहारिक क्रियान्वयन ही आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होगा।

कार्यक्रम के उपरांत प्रतिभागियों ने निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने हेतु प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 08 सितम्बर, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के दृष्टिगत सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना में हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, आदर्श आचार संहिता, भेद्यता मानचित्र , ईवीएम–वीवीपैट, पेड़ न्यूज, एम०सी०एम०सी०, निर्वाचन व्यय, पोस्टल बैलेट, मीडिया, मतदान दल एवं मतदान दिवस की व्यवस्था, आई०टी० ऐप्लिकेशन्स, मतगणना, एवं स्वीप आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन किया गया।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री प्रशांत कुमार सी०एच० के द्वारा सभी प्रशिक्षण स्थलों का दौरा किया गया। उन्होने सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण निदेश दिए।

प्रशिक्षण के दौरान श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अनिल कुमार राय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री देवव्रत मिश्र, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अविनाश चन्द्र, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री विजय कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, श्री धीरज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा श्रीमती प्रियदर्शी पाल, अवर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों को बताया गया कि इन विषयों का गहन अध्ययन और व्यावहारिक क्रियान्वयन ही आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होगा।

कार्यक्रम के उपरांत प्रतिभागियों ने निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने हेतु प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 08 सितम्बर, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के दृष्टिगत एस०एस०सी०ए०ई० की बैठक

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के दृष्टिगत एस०एस०सी०ए०ई० (State Steering Committee on Accessible Election) की बैठक सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में PwD (Persons with Disabilities) मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री प्रशांत कुमार सी०एच० ने निर्देश दिए कि PwD मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं एवं PwD मतदाताओं को डाक मतपत्र (Postal Ballot) से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चुनाव की घोषणा के पाँच दिनों के भीतर संबंधित मतदाता फॉर्म 12डी भरकर अपने रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से पोस्टल बैलेट हेतु आवेदन कर सकते हैं।

स्टेट मीडिया नोडल पदाधिकारी श्री कपिल शर्मा ने भारत निर्वाचन आयोग के ECINET ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार में लगभग 6 लाख 90 हजार PwD मतदाता हैं। साथ ही उन्होंने यह भी अवगत कराया कि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात भी सतत अद्यतन (Continuous Updation) के अंतर्गत नए नाम जोड़े जा सकते हैं। वर्तमान में विभिन्न चरणों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी PwD मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, PwD मतदाताओं के लिए सहायक कर्मियों एवं वालंटियर की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। जिला स्तरीय एक्सेसिबल कमेटियों को नामित कर, PwD मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रणनीति निर्माण एवं क्रियान्वयन की कार्य योजना पर भी विमर्श किया गया।

बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक, प्रो० एन० के० अग्रवाल, कंपोज़िट रीजनल सेंटर (CRC) की निदेशक श्रीमती प्रियदर्शिनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़ की सुश्री अंजू कुमारी, माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक श्री अमर भूषण, श्री भुवन कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुश्री दिव्यांशी श्रीवास्तव तथा जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रंजीत रंजन उपस्थित थे।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांकः 09 सितम्बर, 2025

सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का प्रथम चरण का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न
प्रशिक्षण में अनुपस्थित 89 सहायक निर्वाची पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का प्रथम चरण का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना में संपन्न हुआ। प्रथम चरण के प्रशिक्षण में कुल 301 सहायक निर्वाची पदाधिकारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण में अनुपस्थित 89 सहायक निर्वाची पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, आदर्श आचार संहिता, भेद्यता मानचित्र, ईवीएम–वीवीपैट, पेड न्यूज, एम०सी०एम०सी०, निर्वाचन व्यय, पोस्टल बैलेट, मीडिया, मतदान दल एवं मतदान दिवस की व्यवस्था, आईटी ऐप्लिकेशन्स, ETPBMS (Electronically Transmitted Postal Ballot Management System), मतगणना, एवं स्वीप आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अनिल कुमार राय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री देवव्रत मिश्र, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अविनाश चन्द्र, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री विजय कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, श्री धीरज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा श्रीमती प्रियदर्शी पाल, अवर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों को बताया गया कि इन विषयों का गहन अध्ययन और व्यावहारिक क्रियान्वयन ही आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होगा।

कार्यक्रम के उपरांत प्रतिभागियों ने निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने हेतु प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 11 सितम्बर, 2025

निर्वाची पदाधिकारियों का प्रथम चरण तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण सम्पन्न

प्रशिक्षण में अनुपस्थित 103 सहायक निवार्ची पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में निर्वाची पदाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण गुरुवार को पटना स्थित होटल रॉयल बिहार में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में 85 निवार्ची पदाधिकारियों ने सहभागिता की।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर अद्यतन निदेश से अवगत कराना तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, भेद्यता मानचित्रण, निर्वाचक सूची का शुद्धिकरण, ईवीएम–वीवीपैट का प्रबंधन, मतदान दिवस की व्यवस्थाएँ, पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया, निर्वाचन व्यय की निगरानी, मीडिया प्रबंधन, आईटी एप्लिकेशन्स का उपयोग, मतगणना की पारदर्शिता तथा स्वीप गतिविधियों जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण अवधि में श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री धीरज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं सुश्री दिव्यांशी श्रीवास्तव, अवर निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रतिभागियों से कहा कि निर्वाचन से जुड़े प्रत्येक चरण का गहन अध्ययन और व्यावहारिक क्रियान्वयन ही निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेगा।

इसी क्रम में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के तहत 297 सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण का द्वितीय चरण भी गुरुवार को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना, तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहनेवाले 103 सहायक निर्वाची पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इन केंद्रों पर भी निर्वाचन प्रक्रिया के विविध पहलुओं पर श्री अनिल कुमार राय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री देवव्रत मिश्र, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अविनाश चन्द्र, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री दिनेश लाल दास, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री विजय कुमार एवं श्री शशि प्रकाश राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री सौरभ कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण से उन्हें कई व्यावहारिक जानकारियाँ मिली हैं, जिन्हें वे चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया में लागू करेंगे। प्रतिभागियों ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और अनुभव का सदुपयोग कर वे चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं सहभागी बनाने में योगदान देंगे।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 12 सितम्बर, 2025

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, श्री विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव की समस्त तैयारियों की प्रगति का आंकलन करना था। इसमें कार्मिक डाटाबेस बनाना, केन्द्रीय कर्मियों एवं मतदान कर्मियों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन, निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा राज्य में सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली, पेयजल की सुविधाएं सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्य योजना, ईवीएम प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।

साथ ही डिस्पैच सेंटर की पहचान और आवश्यक संसाधनों की मैपिंग, कम्युनिकेशन प्लान की अद्यतन प्रविष्टि, MCMC के गठन, और कॉल सेंटर (1950) के संचालन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।

इसके अतिरिक्त, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता हेतु कार्य योजना तथा पूर्व के लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों के अनुभवों का भी मूल्यांकन किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं पारदर्शिता के क्रम में राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक आयोजित करने हेतु भी निदेशित किया गया।

अंतर्राज्यीय–राष्ट्रीय सीमा, सीमावर्ती क्षेत्रों एवं अन्य कानून व्यवस्था संबंधी मामलों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विस्तृत निदेश दिए गए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया कि वे अपनी–अपनी जिम्मेदारियों का निष्पक्ष एवं तत्परता से निर्वहन करें ताकि बिहार विधान सभा आम चुनाव– 2025 निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

बैठक में श्री अमित कुमार पाण्डेय, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री प्रशांत कुमार सीएच, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, श्री अशोक प्रियदर्शी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं कार्यालय के सभी अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांकः 12 सितम्बर, 2025

निर्वाची पदाधिकारियों का द्वितीय चरण तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का तृतीय चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में द्वितीय चरण के तहत निर्वाची पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को पटना स्थित होटल रॉयल बिहार में प्रारंभ हुआ।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर अद्यतन निदेश से अवगत कराना तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।

प्रशिक्षण के पहले दिन प्रतिभागियों को नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, भेद्यता मानचित्रण, निर्वाचक सूची का शुद्धिकरण, मतदान दिवस की व्यवस्थाएँ, पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया, निर्वाचन व्यय की निगरानी, जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण अवधि में श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रतिभागियों से कहा कि निर्वाचन से जुड़े प्रत्येक चरण का गहन अध्ययन और व्यावहारिक क्रियान्वयन ही निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेगा।

इसी क्रम में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के तहत सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण का तृतीय चरण भी शुक्रवार को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना तथा दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में शुरू हुआ।

इन केंद्रों पर भी निर्वाचन प्रक्रिया के विविध पहलुओं पर श्री अनिल कुमार राय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री देवव्रत मिश्र, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अविनाश चन्द्र, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री दिनेश लाल दास, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री शशि प्रकाश राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण से उन्हें कई व्यावहारिक जानकारियाँ मिली हैं, जिन्हें वे चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया में लागू करेंगे। प्रतिभागियों ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और अनुभव का सदुपयोग कर वे चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं सहभागी बनाने में योगदान देंगे।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 13 सितम्बर, 2025

निर्वाची पदाधिकारियों का द्वितीय चरण तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का तृतीय चरण का प्रशिक्षण सम्पन्न

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में निर्वाची पदाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण शनिवार को पटना स्थित होटल रॉयल बिहार में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में 70 निवाची पदाधिकारियों ने सहभागिता की।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर अद्यतन निदेश से अवगत कराना तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, भेद्यता मानचित्रण, निर्वाचक सूची का शुद्धिकरण, ईवीएम–वीवीपैट का प्रबंधन, मतदान दिवस की व्यवस्थाएँ, पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया, निर्वाचन व्यय की निगरानी, मीडिया प्रबंधन, आईटी एप्लिकेशन्स का उपयोग, मतगणना की पारदर्शिता तथा स्वीप गतिविधियों जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण अवधि में श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री धीरज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्रीमती निवेदिता सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रतिभागियों से कहा कि निर्वाचन से जुड़े प्रत्येक चरण का गहन अध्ययन और व्यावहारिक क्रियान्वयन ही निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेगा।

इसी क्रम में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के तहत 221 सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण का तीसरा चरण भी शनिवार को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना

तथा दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में संपन्न हुआ। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना में 83 सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के तीसरे चरण का प्रशिक्षण शनिवार को शुरू हुआ जो रविवार को संपन्न होगा।

इन केंद्रों पर भी निर्वाचन प्रक्रिया के विविध पहलुओं पर श्री अनिल कुमार राय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री देवव्रत मिश्र, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अविनाश चन्द्र, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री दिनेश लाल दास, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री विजय कुमार एवं श्री शशि प्रकाश राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री सौरभ कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण से उन्हें कई व्यावहारिक जानकारियाँ मिली हैं, जिन्हें वे चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया में लागू करेंगे। प्रतिभागियों ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और अनुभव का सदुपयोग कर वे चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं सहभागी बनाने में योगदान देंगे।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

bZ&esy
Qksu ua0 %& 0612&2217
QSDl ua0 %& 0612&2215
bZ&esy %&

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांकः 15 सितम्बर, 2025**

निर्वाची पदाधिकारियों का तृतीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा चरण सोमवार को पटना स्थित होटल रॉयल बिहार में शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण में 82 निर्वाची पदाधिकारी भाग ले रहे हैं।

प्रशिक्षण सत्र को संबांधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्वाची पदाधिकारियों (आर.ओ.) की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नामांकन, संविक्षा तथा अभ्यर्थिता वापसी जैसे मामलों में कानूनी पहलुओं सहित सभी तथ्यों का ध्यान से अध्ययन करें, ताकि निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। श्री अमित कुमार पाण्डेय, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा श्री प्रशांत कुमार सीएच, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा भी निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निदेश दिए गए। इस दौरान बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना के उप निदेशक चेत नारायण राय भी मौजूद थे।

प्रशिक्षण के पहले सत्र में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर (एनएलएमटी) श्री अशोक प्रियदर्शी ने नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन तथा पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया विषय पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आपराधिक पूर्ववृत अथ्यर्थियों के संबंध में अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने बताया कि नामांकन के 24 घंटे के अंदर अथ्यर्थियों से प्राप्त शपथ पत्र को बेवसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है। श्री प्रियदर्शी ने कहा कि केवाईसी (Know Your Candidate) ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक अपने अथ्यर्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर (एनएलएमटी) श्रीमती निवेदिता सिंन्हा के द्वारा भेद्यता मानचित्रण, जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना, निर्वाचक सूची, मतदान दल, मतदान दिवस की व्यवस्थाएं तथा मतदान केन्द्रों के बारे में

बताया गया। राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर (एनएलएमटी) मनोज कुमार सिंह ने निर्वाचन व्यय की निगरानी के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर अद्यतन निदेश से अवगत कराना तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण से उन्हें कई व्यावहारिक जानकारियाँ मिली हैं, जिन्हें वे चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया में लागू करेंगे। प्रतिभागियों ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और अनुभव का सदुपयोग कर वे चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं सहभागी बनाने में योगदान देंगे।

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 16 सितम्बर, 2025

निर्वाची पदाधिकारियों का तृतीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के अंतर्गत निर्वाची पदाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा चरण मंगलवार को पटना स्थित होटल रॉयल बिहार में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में 82 निर्वाची पदाधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों ने नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, एम.सी.एम.सी., आदर्श आचार संहिता, मतगणना प्रक्रिया तथा पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी।

श्री अशोक प्रियदर्शी ने संपत्ति विरूपण अधिनियम–2010 के प्रावधानों से अधिकारियों को अवगत कराया ताकि चुनाव की घोषणा होते ही समय पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने मतगणना और परिणाम घोषणा की प्रक्रिया तथा वी०वी०पैट० पर्चियों की गिनती से जुड़े नियमों की भी व्याख्या की।

स्टेट मीडिया नोडल पदाधिकारी श्री कपिल शर्मा ने मीडिया मॉनिटरिंग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के अनुपालन, फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचना से निपटने की रणनीति और कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने एग्जिट पोल और साइलेंस पीरियड के नियम स्पष्ट करते हुए बताया कि चुनाव समाप्ति से 48 घंटे पहले प्रचार–प्रसार पर रोक लग जाती है, जबकि एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अंतिम चरण की समाप्ति के आधे घंटे बाद तक प्रतिबंधित रहता है।

उन्होंने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर आचार संहिता पालन की निगरानी, राजनीतिक दलों के व्यय की मॉनिटरिंग तथा रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया विज्ञापनों के खर्च दर्ज करने की विधि को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं।

श्रीमती निवेदिता सिन्हा ने आईटी एप्लीकेशंस के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रत्येक नामांकन ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है, तथा सभी तरह की अनुमतियाँ भी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएँगी। उन्होंने ETPBMS प्रणाली के तहत सर्विस वोटर्स को उपलब्ध कराए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया की भी जानकारी दी।

श्री धीरज कुमार ने ई०वी०एम० और वी०वी०पैट० के प्रयोग की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने चुनाव दिवस के विभिन्न प्रोटोकॉल और तकनीकी व्यवस्थाओं से रिटर्निंग अधिकारियों को अवगत कराया।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 19 सितम्बर, 2025

राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMTs) एवं नव नियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के अंतर्गत राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMTs) एवं नव नियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारियों का का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभागार में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों ने नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, एम.सी.एम.सी., आदर्श आचार संहिता, मतगणना प्रक्रिया तथा पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी।

श्री अशोक प्रियदर्शी ने संपत्ति विरूपण अधिनियम–2010 के प्रावधानों से अधिकारियों को अवगत कराया ताकि चुनाव की घोषणा होते ही समय पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने मतगणना और परिणाम घोषणा की प्रक्रिया तथा वीवीपैट पर्चियों की गिनती से जुड़े नियमों की भी व्याख्या की।

स्टेट मीडिया नोडल पदाधिकारी श्री कपिल शर्मा ने मीडिया मॉनिटरिंग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के अनुपालन, फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचना से निपटने की रणनीति और कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने एग्जिट पोल और साइलेंस पीरियड के नियम स्पष्ट करते हुए बताया कि चुनाव समाप्ति से 48 घंटे पहले प्रचार–प्रसार पर रोक लग जाती है, जबकि एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अंतिम चरण की समाप्ति के आधे घंटे बाद तक प्रतिबंधित रहता है।

उन्होंने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर आचार संहिता पालन की निगरानी, राजनीतिक दलों के व्यय की मॉनिटरिंग तथा रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया विज्ञापनों के खर्च दर्ज करने की विधि को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं।

श्रीमती निवेदिता सिन्हा ने आईटी एप्लीकेशंस के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रत्येक नामांकन ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है, तथा सभी तरह की अनुमतियाँ भी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएँगी। उन्होंने ETPBMS प्रणाली के तहत सर्विस वोटर्स को उपलब्ध कराए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया की भी जानकारी दी।

श्री धीरज कुमार ने ईवीएम और वीवीपैट के प्रयोग की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने चुनाव दिवस के विभिन्न प्रोटोकॉल और तकनीकी व्यवस्थाओं से रिटर्निंग अधिकारियों को अवगत कराया।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांकः 20 सितम्बर, 2025**

सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभागार में प्रारंभ हुआ।

प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षकों के द्वारा बताया गया कि आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारियों (ए.आर.ओ.) की भूमिका महत्वपूर्ण है। सहायक निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया, खासकर आदर्श आचार संहिता, एमसीएमसी जैसे मामलों में कानूनी पहलुओं सहित सभी तथ्यों का ध्यान से अध्ययन करें, ताकि निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

प्रशिक्षण के पहले सत्र में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर (एन०एल०एम०टी०) श्री अशोक प्रियदर्शी ने नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन तथा पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया विषय पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आपराधिक पूर्ववृत अभ्यर्थियों के संबंध में अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने बताया कि नामांकन के 24 घंटे के अंदर अभ्यर्थियों से प्राप्त शपथ पत्र को बेवसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है। श्री प्रियदर्शी ने कहा कि के०वाई०सी० (Know Your Candidate) ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक अपने अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर (एन०एल०एम०टी०) श्रीमती निवेदिता सिंन्हा के द्वारा भेद्यता मानचित्रण, जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना, निर्वाचक सूची, मतदान दल, मतदान दिवस की व्यवस्थाएं तथा मतदान केन्द्रों के बारे में बताया गया। राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर (एन०एल०एम०टी०) श्री मनोज कुमार सिंह ने निर्वाचन व्यय की निगरानी के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

श्री देवव्रत मिश्रा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर अद्यतन निदेश से अवगत कराना तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।

****

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– **0612–2217956**
फैक्स नं0 :– **0612–2215611**

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांकः 23 सितम्बर, 2025**

सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के अंतर्गत सहायक निर्वाची पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभागार में संपन्न हुआ।

प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों ने नामांकन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, एम.सी.एम.सी., आदर्श आचार संहिता, मतगणना प्रक्रिया तथा पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी।

एनएलएमटी श्री अशोक प्रियदर्शी ने संपत्ति विरूपण अधिनियम– 2010 के प्रावधानों से अधिकारियों को अवगत कराया ताकि चुनाव की घोषणा होते ही समय पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने मतगणना और परिणाम घोषणा की प्रक्रिया तथा वीवीपैट पर्चियों की गिनती से जुड़े नियमों की भी व्याख्या की।

स्टेट मीडिया नोडल पदाधिकारी श्री कपिल शर्मा ने मीडिया मॉनिटरिंग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के अनुपालन, फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचना से निपटने की रणनीति और कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने एग्जिट पोल और साइलेंस पीरियड के नियम स्पष्ट करते हुए बताया कि चुनाव समाप्ति से 48 घंटे पहले प्रचार–प्रसार पर रोक लग जाती है, जबकि एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अंतिम चरण की समाप्ति के आधे घंटे बाद तक प्रतिबंधित रहता है।

उन्होंने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर आचार संहिता पालन की निगरानी, राजनीतिक दलों के व्यय की मॉनिटरिंग तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया विज्ञापनों के खर्च दर्ज करने की विधि को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं।

एनएलएमटी श्रीमती निवेदिता सिन्हा ने आईटी एप्लीकेशंस के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रत्येक नामांकन ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है, तथा सभी तरह की अनुमतियां भी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएँगी। उन्होंने ETPBM प्रणाली के तहत सर्विस वोटर्स को उपलब्ध कराए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया की भी जानकारी दी।

एनएलएमटी श्री धीरज कुमार ने ईवीएम और वीवीपैट के प्रयोग की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने चुनाव दिवस के विभिन्न प्रोटोकॉल और तकनीकी व्यवस्थाओं से सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को अवगत कराया।